2

अध्याय

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

कोयला मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कोयले की उपलब्धता हासिल करने हेतु इसके विजन से जुड़ा है जिससे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी तरीके से पूरा किया जा सके तथा सरकारी कंपनियों के माध्यम से उत्पादन में तेजी लाने और अत्याधुनिक, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों द्वारा कैप्टिव खनन प्रमाणिक संसाधनों को बढ़ाने पर बल देते हुए अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने तथा कोयले की तत्काल निकासी हेतु आवश्यक संरचना का विकास करने के समग्र मिशन को पूरा किया जा सके।

उद्देश्य

- कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओबीआर हटाने, लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में तेजी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग
- अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहल
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता
- अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी तथा संयुक्त समाधान
- कोल इंडिया की क्षमता में सुधार
- निजी निवेश आकर्षित करना
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

कार्य

- भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास तथा दोहन।
- कोयले के उत्पादन आपूर्ति, वितरण तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
- ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।
- कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957; कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957; कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948; खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पादन शुल्क लगाने तथा संग्रहण करने हेतु खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियमों; कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 तथा कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई से संबंधित केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन तथा ऐसे प्रशासन से संबंधित समान कार्य।

स्कीमें

- अनुसंधान और विकास
- क्षेत्रीय अन्वेषण
- विस्तृत ड्रिलिंग
- पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण
- कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा
- कोलफील्डों में परिवहन संरचना का विकास

संगठनात्मक ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, चार संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक/उप सचिव, एक तकनीकी निदेशक, नौ अवर सचिव, बीस अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक लेखा उप–नियंत्रक तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक ''महारत्न'' कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा 3,46,638 (01 अप्रैल, 2014 की स्थिति) सहित सबसे बड़ा नियोक्ता कारपोरेट है। सीआईएल भारत के आठ प्रांतीय राज्यों में फैले 82 खनन क्षेत्रों में प्रचालन करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 429 खानें हैं जिनमें से 237 भूमिगत, 166 ओपनकास्ट तथा 26 मिश्रित खानें हैं।

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड जिसका मुख्यालय कोलकाता में है कोयला उद्योग में एक शीर्ष निकाय है। कोल इंडिया एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सात

पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक सहायक कंपनियां तथा एक खान योजना एवं कंसलटेंसी कंपनी है। इसके नियंत्रण में कोयला भंडारों की पहचान, विस्तृत अन्वेषण तथा डिजाइन और कार्यान्वयन और इसकी खानों में कोयला निकासी हेतु प्रचालन को ईष्टतम करना है। उत्पादन कंपनियां निम्नलिखित हैं:–

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर, ओड़िसा
- सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, झारखंड, कंसलटेंसी कंपनी है।

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) मार्घरिटा, असम में प्रचालनरत एक छोटी कोयला उत्पादन ईकाई है जो सीआईएल के प्रत्यक्ष प्रचालन नियंत्रण में है।

इसके अलावा, सीआईएल ने मोजांबिक में 2 कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए एक कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड, मोजांबिक को पंजीकृत किया है।

कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता हैं विद्युत और इस्पात क्षेत्र। अन्य क्षेत्रकों में सीमेंट, उर्वरक, ब्रिक किल्न तथा छोटे उद्योग शामिल हैं।

नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड एक ''नवरत्न'' कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय तमिलनाडु में नेयवेली में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसी निम्नलिखित का प्रचालन करती है:–

- नेयवेली में 28.5 मि.टन. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट ,खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.1 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान।
- नेयवेली में 2490 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता सहित तीन तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर राजस्थान में 250 मेवा की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन।

एनएलसी की सभी खानें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली तथा पेशागत स्वास्थ एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ से प्रमाणित है। एनएलसी के सभी विद्युत स्टेशन भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ से प्रमाणित है। एनएलसी का विकास धारणीय है तथा भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में इसका योगदान महत्वपूर्ण है।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एक सरकारी कोयला खनन कंपनी है जिसका स्वामित्व तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 51:49 के अनुपात में इक्विटी आधार पर है। सिंगरैनी कोयला भंडार का विस्तार तेलंगाना के प्राणहिता– गोदावरी घाटी में 350 किमी. तक फैला है जिसमें प्रामाणिक भू–गर्भीय भंडार लगभग 8791 मि.टन तक है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 62,805 श्रमशक्ति सहित तेलंगाना के चार जिलों में 15 ओपनकास्ट तथा 34 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।

कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, कोठागुदेम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडीद्ध की हैसियत से कार्यरत एक जीएम/डीजीएम स्तर के कार्यपालक अधिकारी मुख्य अधिकारी होते हैं और उनकी सहायता के लिए अन्य तकनीकी अधिकारी होते हैं। कोयला नियंत्रक का संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाता है :

- कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975।
- सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का 32) और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियमावली, 1959
- कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

इसके अलावा कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

- केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की प्रगति की मानीटरिंग।
- वाशरियों की मानीटरिंग।
- विभिन्न कोयला उत्पादों के निपटान की मानीटरिंग।
- खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

- कोयले के नमूनाकरण के लिए प्रणाली तथा मानक तैयार करना।
- कोलियरियों का निरीक्षण जिससे कि कोयले की श्रेणी, ग्रेड अथवा आकार की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।
- कोलियरी में खनित सीम के ग्रेड को घोषित करने तथा अनुरक्षण हेतु निर्देश जारी करना।
- कोयले के ग्रेड और आकार के घोषणा करने के फलस्वरूप उपभोक्ता तथा स्वामी के बीच उपजे किसी विवाद का निपटान करने हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
- कोयला भंडार के निपटान अथवा कोलियरी में कोयले की अनुमानित आउटपुट को विनियमित करना।
- वैगनों/ट्रकों में ग्रेडों और आकार के संबंध में निर्धारित प्रणाली के अनुसार कोयले की लदान के संबंध में गुणवत्ता सर्वेक्षण।
- कोयला खान, सीम को खोलने/पुनः खोलने अथवा खान को उप–विभाजित करने हेतु अनुमति प्रदान करना।
- सभी कच्चे कोयले अथवा प्रेषण पर उत्पाद कर का आकलन और संग्रहण।
- निम्नलिखित के लिए कोयला प्रचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना–
  - कोयला संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करनाः यूजी खानों की रेत भराई।
  - कोयला खानो का वैज्ञानिक तरीके से विकास करना।
  - कोयले के संरक्षण, कोयला खानों का विकास तथा कोयले की उपयोगिता के संबंध में अनुसंधान करना।
  - स्वतः न जलने वाले पदार्थों की ब्लैंकेटिंग सहित सुरक्षा कार्य। नाईट्रोजन और कार्बन डाईआक्साइड फ्लसिंग, दबे हुए क्षेत्रों को भरना, ट्रेंचों की कटाई आदि।
  - कोलफील्डों में अवसंरचना विकास।
- वार्षिक कोयला और लिग्नाइट संर्वेक्षण करना।
- केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक कोयला आंकड़े प्रस्तुत करना।
- कोयला वाशरियों से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण।
- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम, 1957) के अंतर्गत–
  कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास अधिनियम, 1957) के अंतर्गत अधिग्रहित कोयलाधारी भूमि से संबंधित केन्द्र सरकार की अधिसूचना के संबंध में किसी भी आपत्ति पर सुनवाई करना तथा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा नान कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण की अवधि से पूर्व के कोलियरी स्वामियों के मामले में दावे का निपटान करने हेतु भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य करना।
- अनुमोदित एमसीपी के अनुसार एस्क्रो लेखा खोलने की मॉनीटरिंग।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम संख्या 46) के अंतर्गत स्थापित एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, यह एक स्वायत्त सांविधिक संगठन है जिसका मुख्यालय धनबाद में है। कोयला उत्पादक राज्यों में इसके 24 कार्यालय हैं जो कोयला उद्योग के कर्मचारियों की आवश्यकताओं की देखरेख करते हैं। इसमें निजी क्षेत्र के कोयला कामगार शामिल हैं।

संक्षेप में, सीएमपीएफओ को कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए स्कीमों को शासित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

स्कीमें निम्नलिखित हैः–

- कोयला खान भविष्य निधि स्कीम
- कोयला खान पेंशन स्कीम
- कोयला खान डिपौजिट जमा बीमा स्कीम

कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948

कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाए गए कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में भारत की कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ देने का प्रावधान है। कामगार अपनी कुल परिलब्धि का 12 प्रतिशत की दर से कोयला खान भविष्य निधि में अंशदान करते हैं तथा नियोक्ता भी समान राशि का भुगतान करता है। वित्त वर्ष 2013–14 की पीएफ अंतशेष पर बीओटी द्वारा 8.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुमोदित की गई है। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 8.75 प्रतिशत की दर प्रस्तावित की गई है। निधियों को जमा करना तथा उसे शासित करना त्रिपक्षीय ट्रस्टी बोर्ड द्वारा की जाती है जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी तथा केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

नीचे दी गई तालिका में स्कीम की व्यापक रूपरेखा दी गई है:–

विवरण	2013-14 वास्तविक	2014-15 अलेखापरीक्षित	2015-16 अनुमानित
कवर किए गए कोयला खानों/संयंत्रों की संख्या (वर्ष की समाप्ति पर)	908	913	913
वर्ष के दौरान जीवित सदस्यता की संख्या (लाख)	4.14	4.17	4.20
स्वैच्छिक अंशदान सहित दिसंबर, 2014 तक अंशदान (करोड़ रुपए में)	4103.73	3842.21	5300.00 (approx)
निधि के सदस्यों को अनुमेय ब्याज दर	(बीओटी द्वारा अनुमोदित ब्याज दर) 8.75 प्रतिशत	(बीओटी द्वारा अनुमोदित ब्याज दर) 8.75 प्रतिशत	(अनुमानित ब्याज दर जिसे बीओटी द्वारा अनुमोदित किया जाना है) 8.75 प्रतिशत
दिसंबर, 2014 तक अग्रिम (करोड़ रू. में)	473.23	380.48	500.00 लगभग
दिसंबर, 2014 तक भविष्य निधि की चुकौती (करोड़ रू. में)	4177.56	3654.60	4500.00 लगभग
निपटाए गए मामलों की संख्या (चुकौती)	29,595	22675	30,000
प्राप्त मामलों की संख्या (चुकौती)	29,134	22806	30,500
तैनात अधिकारी	35	35	35
तैनात कर्मचारी	861	843	943

लगातार प्रयास तथा बारंबार अनुवर्ती कार्रवाई के कारण मामलों के निपटान में विलंबिता में काफी कमी आई है। भविष्य निधि चुकौती के निपटान में विलंब के रूझान नीचे दर्शाए गए हैं :–

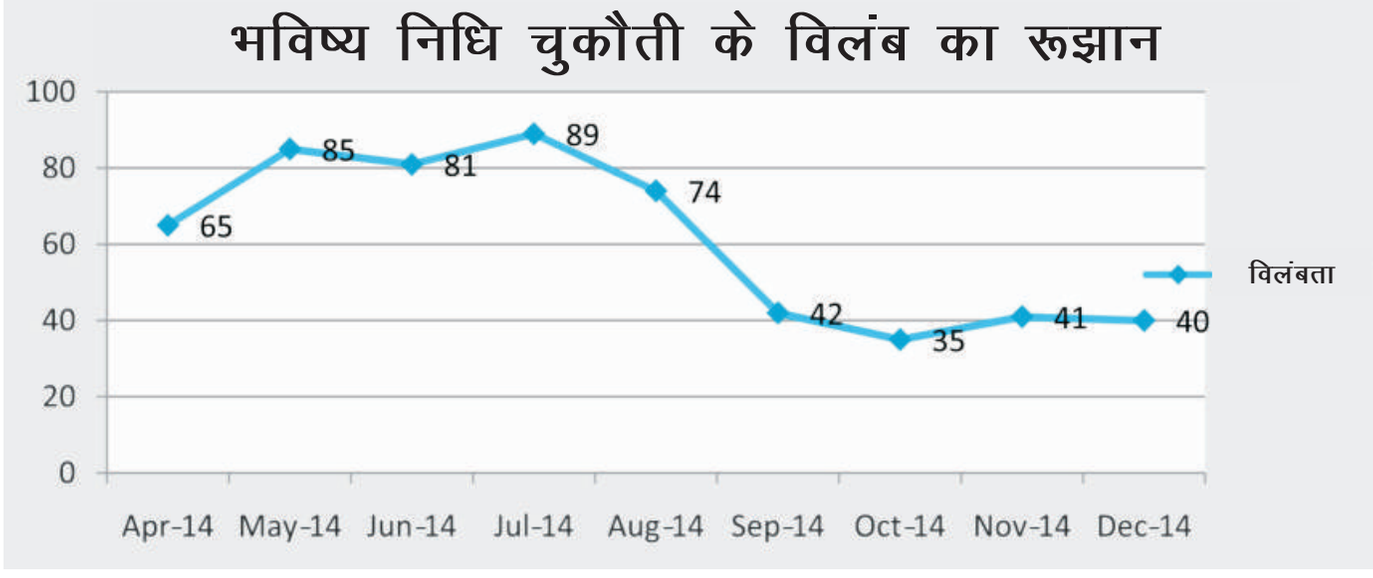

कोयला खानों के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने पर बल देने के परिणामस्वरूप सीएमपीएफ/ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संविदागत कामगारों के कवरेज में 50376(01.04.2014) से 62243 (01.12.2014) तक वृद्धि हुई है।

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998

कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 (सीएमएफपीएस, 71) के अधिक्रमण में कोयला खान भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम,1948 (1948 का 46) की धारा 3 ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 (सीएमपीएस, 98) को 31.03.1998 से लागू किया गया था। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार सीएमपीएफ की सदस्यता 4,17,128 सूचित की गई है।

पेंशन निधि

पेंशन निधि कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 की कुल परिसंपत्ति है। स्कीम के लाभार्थियों में समाप्त हो चुके कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के वे सदस्य जो 31 मार्च, 1998 को नामावली में थे; 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी तथा पेंशन निधि में सदस्यता हेतु इच्छुक सदस्य शामिल है। दिनांक 01.04.1994 से 31.03.1998 की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी उन्हें दिनांक 12.08.2004 के जीएसआर संख्या 521(ई) के तहत स्कीम के इच्छुक सदस्य के रूप में समझा जाएगा। पेंशन निधि का प्रत्येक तीसरे वर्ष किसी बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन करने का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

हकदारी का प्रकार

- मासिक पेंशन
- विकलांगता पेंशन
- विधवा अथवा विधुर पेंशन
- बाल पेंशन
- अनाथ पेंशन
- अनुग्रह राशि का भुगतान

केन्द्र सरकार ने पेंशन निधि में वर्ष 2013–14 के दौरान 15.00 करोड़ रूपए, 2014–15 (ब.अ) में 16.00 करोड़ रूपए तथा 2015–16 (ब.अ.) में 17.00 करोड़ रूपए का अंशदान किया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने पेंशन स्कीम के रख–रखाव के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु 2013–14 में 7.00 करोड़ रूपए का योगदान दिया गया है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2014–15 (ब.अ) में 8.00 करोड़ रूपए तथा 2015–16 (ब.अ.) में 10.00 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

नीचे की तालिका में सीएमपीएस, 1998 का विस्तृत मापदंड दर्शाया गया है:–

सीएमपी स्कीम के लाभार्थियों के ब्यौरे

	विवरण	2013-14 वास्तविक	2014-15 अलेखापरीक्षित	2015-16 अनुमानित
i)	कोयला खान पेंशन स्कीम की सदस्यता (लाख)	4.19	4.40	4.50
ii)	नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 तक पेंशन स्कीम, 98 में अंशदान तथा सीएमपीएस, 98 में ब्याज (करोड़ रू. में)	2119.21	1668.15	2300.00
iii)	दिसंबर, 2014 तक लाभ का भुगतान (समाप्त हो चुकी परिवार पेंशन स्कीम तथा पेंशन स्कीम) (सीएमएफपीएस, 1971) (करोड़ रू. में)	1358.89	1183.70	1500.00
iv) (a)	परिवार पेंशन(सीएमएफपीएस, 1971) तथा जीवन आश्वासन लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या	4	4	2
(b)	दिसंबर, 2014 तक निपटाए गए पेंशन (सीएमएफपीएस, 1998) मामलों की संख्या	32,597	23304	31,000
v) (a)	परिवार पेंशन (सीएमपीएमएफ, 1971) तथा जीवन आश्वासन लाभ के मामलों की प्राप्त संख्या	4	4	2
(b)	दिसंबर, 2014 तक सीएमपीएस, 1998 के अंतर्गत प्राप्त पेंशन मामलों की संख्या	32,070	23304	30,000

लगातार प्रयास तथा बारंबार अनुवर्ती कार्रवाई के कारण मामलों के निपटान में विलंबिता में काफी कमी आई है। पेंशन मामलों के निपटान में विलंब के रूझान नीचे दर्शाए गए हैं:–

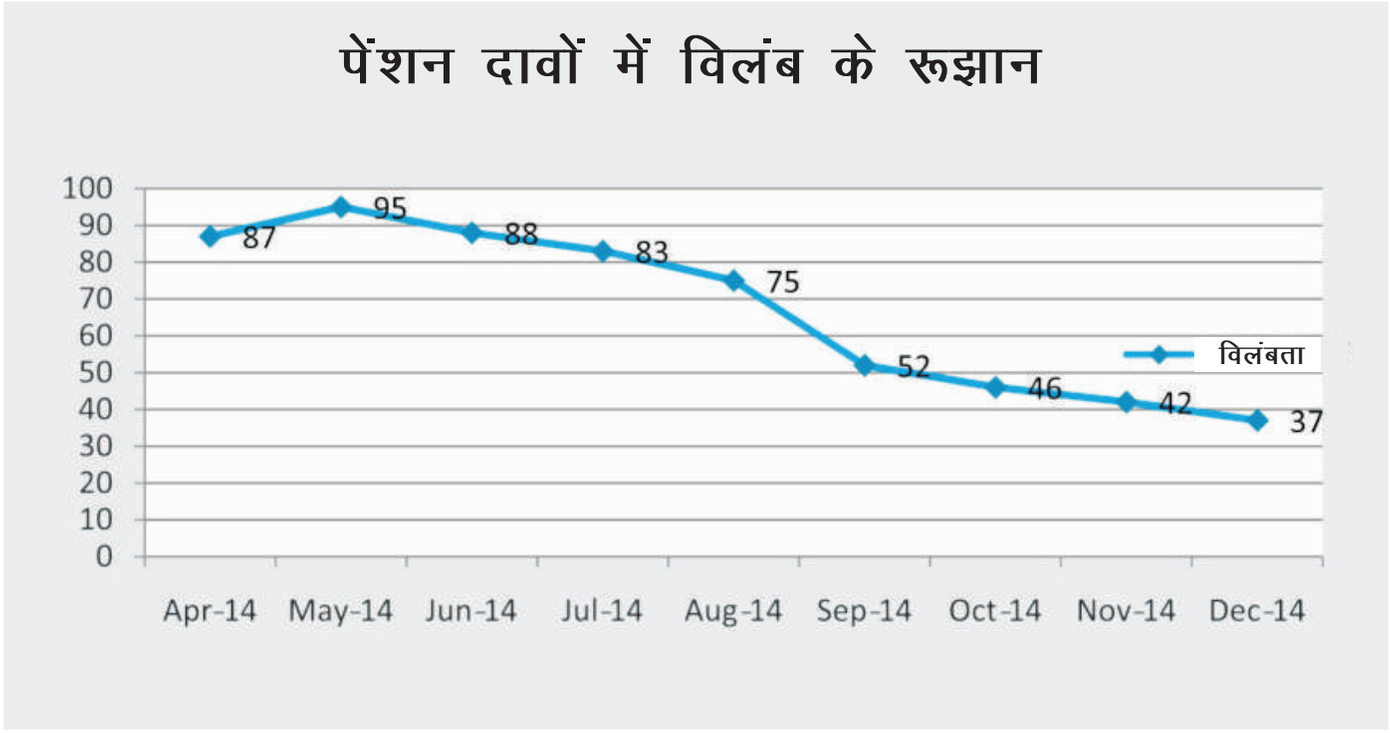

कोयला खान डिपोजिट जमा बीमा स्कीम, 1976

कोयला खान डिपोजिट जमा बीमा स्कीम को एक अगस्त 1976 से लागू किया गया था। दिनांक 24.03.2009 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.822(ई) के तहत सीआईएल के कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों को उक्त स्कीम के प्रचालन से छूट दिया गया था। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को पूर्व में भी कोयला मंत्रालय द्वारा स्कीम के प्रचालन से छूट दी गई थी। परंतु अन्य निजी कोयला कंपनियां/सहायक कंपनियां/ईकाइयां जैसे कि टिस्को, आईआईएससीओ, जिंदल पावर, सिंगरैनी, अदानी माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, बीएलए इंडस्ट्रीज, सैनिक माइनिंग एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीएल) आदि अभी भी इस स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए हैं।